बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्रांक– वि॰प्रा॰(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रेषक

अतुल सिन्हा,
निदेशक

सेवा में,

प्राचार्य,
बी॰सी॰ई॰ भागलपुर

विषयः– वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजना (योजना) बजट के "मुख्यशीर्ष–2203–तकनीकी शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–00, लघुशीर्ष–112–इंजीनियरिंग /तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष – 0303–तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम" पी॰एफ॰एम॰एस॰ कोड–9170 (विपत्र कोड– P2203001120303) के अधीन आवंटन।

महाषय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2924, दिनांक 29.11.2016 के द्वारा विभागान्तर्गत भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय (बी॰सी॰ई॰) भागलपुर में केन्द्र प्रायोजित योजना "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम फेज–II (Technical Education Quality Improvement Programme Phase-II)" के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि रू॰ 200.00 लाख (दो करोड़ रूपये) मात्र में से व्यय के उपरांत शेष केन्द्रांश की राशि रू॰ 1,39,23,000=00 मात्र तथा राज्यांश की राशि रू॰ 36,50,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 1,75,73,000=00 (एक करोड़ पचहतर लाख तीहतर हजार रूपये) मात्र, वित्तीय वर्ष 2016–17 में व्यय हेतु संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

तदनुसार, वित्तीय वर्श 2016–17 में नियमानुसार व्यय हेतु विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन विभिन्न विषयशीर्षों में द्वितीय अनुपूरक के माध्यम से उपबंधित राशि से भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग (बी॰सी॰ई॰), भागलपुर को कुल रू॰ 36,50,000=00 (छत्तीस लाख पचास हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नवत प्रदान किया जाता है–

विषयशीर्ष	कुल आवंटित राशि (रूपये में)
11 01 यात्रा व्यय	30,000=00
13 01 कार्यालय व्यय	5,23,000=00
20 02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	16,57,000=00
27 01 लघु कार्य	7,00,000=00
27 02 अनुरक्षण एवं मरम्मत	40,000=00
28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं	7,00,000=00
कुल	**36,50,000=00**

(क)

(क) छत्तीस लाख पचास हजार रूपये मात्र।

2. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 2561/वि॰(2), दिनांक 17.04.1998, पत्रांक–4572, दिनांक 03.06.2016 एवं पत्रांक–1211, दिनांक 15.12.2016 में अंकित प्रावधानों के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव, उक्त परिपत्र तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा–निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

3. उक्त आवंटित राशि का दूसरे मदों में अपवर्त्तन कदापि नही किया जाय। यदि उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का व्यय संभावित नही हो तो उसे यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

4. विभिन्न विषयशीर्षों में राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर समुचित शीर्षादि, कूट संख्या, मांग संख्या तथा विपत्र कोड सहित विषयशीर्ष एवं आयोजना (योजना) का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

5. स्वीकृत्यादेश/ आवंटनादेश तथा विपत्रों के कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग का पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/ वि(2), दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा निर्देश का अनुपालन अक्षरशः किया जाय।

6. व्यय विवरणी टी0 भी0 नं0 एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 7 (सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना एवं अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

7. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/ –

(अतुल सिन्हा)
निदेशक
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
बिहार, पटना

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक – वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– /पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, कोषागार भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/ –
निदेशक

ज्ञापांक– वि०प्रा०(III)ब^{3} –14/2016– 125(11)/पटना, दिनांक 27-1-2017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/संयुक्त निदेशक (वि०)/उप निदेशक (यो)/ योजना सहायक/ आई०टी० मैनेजर (ई–मेल/विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/ एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाइल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.01.17
निदेशक

24/01/17